

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या 112 / 2021

उनवान

गुमान देवी पत्नी शंकर गुर्जर निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा

— प्रार्थीया

बनाम

- 1- रामधन पिता रामनाथ गुर्जर निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
- 2- लादू लाल पिता भैरु खाती निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
- 3- 4 लक्ष्मण, गोपाल पिता रामनाथ गुर्जर निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
- 5- रामा पिता लालू गुर्जर निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
- 6- 8 छोदू, महावीर, रामकिशन पिता रामकरण गुर्जर निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
- 9- भैरु पिता रामचन्द्र जाट निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा

— विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री कल्याणमल धाकड  
अधिवक्ता प्रार्थीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

—:: निर्णय ::—

दिनांक— 12/07/2021

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं — प्रार्थीया के ग्राम **बच्छखेड़ा** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 550 रकबा 1.23 है0** कुल किता 1 रकबा 1.23 हैक्टेयर की प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम **बच्छखेड़ा संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् की **प्रार्थीया खातेदार** दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है। अतः **प्रार्थीया** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **बच्छखेड़ा** में स्थित प्रार्थीया की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात् **किता 1 रकबा 1.23** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 1000/- रुपये** कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थीया से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/07/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(शिल्पा सिंह IAS)  
उपखण्ड अधिकारी

**उपखण्ड अधिकारी**  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा  
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलक्टर  
**उपखण्ड अधिकारी**  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा  
एवं सहायक कलक्टर  
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.